अपील संख्या 2016/00216 बउनवानी सुरेन्द्र सिंह बनाम प्रहलाद सिंह वगैरह, आदेश दिनांक 16.08.2018

पत्रावली वास्ते आदेश बाबत् अपील की पोषणीयता के कानूनी उज्र/आपत्ति हेतु पेश की गई। इस बिन्दु पर पूर्व में उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि हसतगत अपील प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.07.2018 के विरूद्ध संयुक्त रूप से एक ही पेश की गई हैं। धारा 97 सी.पी.सी. में प्रावधान किया हुआ है कि जहॉ प्राथमिक डिक्री (पी.डी.) की अपील नहीं की जाती हैं वहॉ अंतिम डिक्री की अपील नहीं की जा सकती हैं।

मान्नीय राजस्व मण्डल ने 2014(1)आर.आर.टी. पेज 397 उनवानी जीसिंह एवं अन्य बनाम गुरूदेव कौर एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलेट न्यायालय में प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के दोनो के आदेशों की पृथक–पृथक अपील पेश की जानी चाहिए। पी.डी. एवं एफ.डी. आदेशों के विरूद्ध एक अपील पेश करने से अपील को कानूनी रूप से पोषणीय नहीं माना गया।

हस्तगत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील पेश की गई। जो उक्त कानूनी विवेचन के प्रकाश में पोषणीय नहीं हैं।

अतः केवियटकर्ता की पोषणीयता बाबत् आपत्ति को स्वीकार किया जाता हैं तथा हस्तगत अपील को पोषणीयता (Maintainalilty)पर ही खारिज किया जाता हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम हों।